

# THE JHARKHAND GAZETTE

# EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 28

20 Poush, 1939 (S)

Ranchi, Wednesday, 10th January, 2018

#### **COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT**

.............

### **NOTIFICATION**

 $10^{th}$  January, 2018

#### Notification No. 1/2018-State Tax

**S.O. No. 6 - Dated - 10<sup>th</sup> January, 2018 --** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand (Department of Commercial Taxes), No. S.O 50- State Tax, dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, namely:-

In the said notification, in the opening paragraph, -

- (i) in clause (i), for the words "one per cent.", the words "half per cent." shall be substituted;
- (ii) in clause (iii), for the words "half per cent. of the turnover", the words "half per cent. of the turnover of taxable supplies of goods" shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to be effective from 1<sup>st</sup> January, 2018.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017] By the order of the Governor of Jharkhand,

#### K. K. Khandelwal,

Principal Secretary-cum Commissioner.

Note: - The principal notification No. S.O 50- State Tax, dated the  $29^{th}$ June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand and last amended by Notification No. S.O 110-State Tax, dated  $20^{th}$  October, 2017 published in the Gazette of Jharkhand.

## वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 10 जनवरी, 2018

# अधिसूचना सं 01/2018 -राज्य कर

एस॰ ओ॰ - 6 दिनांक 10 जनवरी, 2018 -- झारखण्ड सरकार , झारखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017(12 का 2017) की धारा ) की उपधारा 101रते यों का प्रयोग कत शक्ति के तहत प्रदत् () हुए और जी एस टी परिषद की सिफारिशों के आधार पर झारखण्ड सरकारवाणिज्य-कर विभागकी (अधिसूचना संएस॰ ओ॰ 50 -राज्य कर, तारीख 29 जून, 2017 , जिसे झारखण्ड के राजपत्र, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है यथा -:

उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में -

- क)) उप) वाक्य-i में ("एक प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर शब्दों को "आधा प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ख)) उप) वाक्य-iii वस्तुओं की कर" शब्दों के स्थान पर "आवर्त का आधा प्रतिशत" में ( योग्य आपूर्ति के आवर्त का आधा प्रतिशत " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- 2. यह अधिसूचना 01 /01/2018 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/04/2017] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

> के॰ के॰ खण्डेलवाल, प्रधान सचिव-सह-आय्क्त ।

नोटः प्रधान अधिसूचना संख्या -एस॰ ओ॰ -50 राज्य कर29 दिनांक , जून ,2017 को , झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या एस॰ ओ॰ -110 राज्य कर, दिनांक 20 अक्टूबर, 2017, जिसे झारखण्ड के राजपत्रके द्वारा संशोधन किया गया है। ,में प्रकाशित किया गया था ,

-----